Indian Council of World Affairs
Sapru House, Barakhamba Road
New Delhi

25वां सप्रु हाउस व्याख्यान

महामहेम खेमइेज झेनाओइे

रिपब्लिक ऑफ ट्यूनिशिया के विदेश मंत्री

विषय

"नया ट्यूनिशिया:चुनौती और वैश्विक खतरों के इस यूग में एक उभरता लोकतंत्र"

सप्रु हाउस, नई दिल्ली

30 अक्तूबर, 2017

महामहिम राजदूत नलिन सूरी, महानिदेशक, विश्व मामलों की भारतीय परिषद्, माननीय, अतिविशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों,

मैं विशेष रूप से अतिप्रसन्न हूं और ऐसे प्रतिष्ठित एवं विश्व स्तर पर अतिविशिष्ट संस्था: विश्व मामलों की भारतीय परिषद् द्वारा आयोजित इस अनुनादी श्रोताओं के बीच होना सम्मान की बात है। मैं इस अवसर पर राजदूत नलिन सूरी , महानिदेशक को उनके द्वारा दिए गए निमंत्रण के लिए उन्हें धन्यवाद देना और प्रशंसा करना चाहूंगा।

एक कनिष्ठ कूटनीतिज्ञ के रूप में 1986 में अपने पहले कूटनीतिक अनुबंध को समाप्त करने के बाद 30 वर्षों के पश्चात वैश्विक चुनौतियों और खतरों के इस युग में ट्यूनिशिया में उभरते लोकतंत्र के बारे में आज बात करने के लिए भारत लौटना मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है।

किंतु मैं भारतीयों द्वारा पिछले तीस वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर आईसीटी, अनुसंधान विकास और नवोन्मेषी (आर एंड आई) व स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भारत द्वारा हासिल जबर्दस्त प्रगति के लिए उन्हें बधाई देते हुए शुरू करना चाहता हूं। विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था जिसके कारण भारतीय लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है , के अलावा भारत आज अनिश्चितता और अस्थिरता के समय में शांति व स्थिरता की आवाज को प्रस्तुत करता है। यह ट्यूनिशिया सहित विश्व के कई देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

अतिविशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों;

ट्यूनिशियाई लोकतांत्रिक अनुभव के बारे में बताने से पूर्व मैं सर्वप्रथम 'अरब स्प्रिंग' शब्द को स्पष्ट करना चाहूंगा जिसे 2011 से ट्यूनिशिया के साथ जोड़ दिया गया है। आपमें से कुछ लोग निराश होंगे किंतु मैं तर्क देना चाहूंगा कि यह पश्चिमी मीडिया द्वारा अविष्कृत है। इन शब्दों को प्राग स्प्रिंग , लोकतांत्रिक आशावाद का एक संक्षिप्त क्षण, के संदर्भ में 2011 के क्रांतिकारी सोपानी को बतलाने के लिए बनाया गया है जिस क्रांति को अंततोगत्वा कठोरता से कुचल दिया गया था।

तथापि, यह शब्द एक अभिलाषापूर्ण चिंतन , विद्रोह और क्रांति की मनोहर प्रस्तुति एवं अरब क्षेत्र की एकाश्म अवधारणा का द्योतक है जो विभिन्न देशों के अपने-अपने अनुभव हैं।

राष्ट्रपति बेजी केइड इसेब्सी, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 2011 में जी8 शिखर सम्मेलन में स्पष्ट किया था कि अरब स्प्रिंग जैसी कोई बात नहीं है किंतु यह ऐसे स्प्रिंग की शुरूआत है जो ट्यूनिशिया में फलित हो सकता है।
मैं आश्वस्त हूं कि अब कई लोग सहमत होंगे कि यह शुरूआती निदान खरा और उपयुक्त था।

राष्ट्रपति केइड इसेब्सी की भविष्यवाणी सही साबित हुई क्योंकि यह इस क्षेत्र के कई देशों में हालात की वास्तविक समझ और विश्वास पर आधारित था कि लोकतंत्र का कोई एक मॉडल नहीं है बल्कि इस तक पहुंचने के कई रास्ते हैं।

ट्यूनिशिया द्वारा चुना गया मार्ग अत्यधिक परिवर्तनकारी हो सकता है किंतु ट्यूनिशिया न तो एक मॉडल के रूप में खड़ा होना चाहता है और न ही बदलाव के लिए एक अद्वितीय टेम्प्लेट प्रदान करता है। ट्यूनिशिया 4एस क्रांति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया एक एकल अनुभव व देश में ही उत्पन्न हुए कई कारकों के युग्म का उत्पाद है।

वर्ष 2010 में उग्र राजनीतिक परिवर्तन के लिए ट्यूनिशिया में स्थिति बनी।

इसके अतिरिक्त, ट्यूनिशिया एक ऐसा देश है जहां सुधारवादी परंपरा की जड़ यहां के समाज में गहरी है। ट्यूनिशियाई सुधारवादी आंदोलन की शुरूआत 19वीं सदी में शुरू हुई: 1861 में कई पश्चिमी देशों से पूर्व ही दासता को समाप्त कर दिया गया। 1861 में एक प्रगतिशील संविधान को अपनाया गया जो अरब और मुस्लिम जगत में एक अद्वितीय विशेषता थी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से युवा ट्यूनिशिया राष्ट्र ने शिक्षा के साधारणीकरण का मार्ग चुना और 16 वर्ष आयु वर्ग के लड़कों और लड़कियों के लिए शिक्षा को नि:शुल्क और अनिवार्य बनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के शुरूआती वर्षों में संघर्ष व्यापक निरक्षरता को समाप्त करना था। आज वर्तमान सरकार के लिए प्रमुख चुनौती बेरोजगार युवा विश्वविद्यालय स्नातकों को नौकरियां प्रदान करना है जो इस आशा के साथ बड़े हुए हैं कि शिक्षा से उनके और उनके पारिवारिक जीवन स्तर में सुधार करने में सहायता प्राप्त होगी।

ईकसठ वर्ष पूर्व अगस्त, 1956 में स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ महीने पूर्व ट्यूनिशिया ने एक पथप्रदर्शक कानून ''व्यक्तिगत दर्जा संहिता'' को प्रख्यापित किया जिसमें महिलाओं को तालाक देने का अधिकार प्रदान किया गया , बहुविवाह प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा पुरूषों और महिलाओं को संविदागत विवाह में में समान अधिकार प्रदान किए गए। उसके बाद से महिलाओं के अधिकार और लैंगिक समानता और मजबूत हो रही है।

अत: 2010 के उत्तरार्द्ध में ट्यूनिशिया ने प्रमुख राजनीतिक बदलावों के संघटकों को एकत्रित किया:1- व्यापक संख्या में शिक्षित युवा;
2- महिलाओं को अद्वितीय दर्जा, जो मुस्लिम और अरब जगत में विद्यमान नहीं था;
3- एक बड़ा मध्यम वर्ग;
4- एकआर्थिक मॉडल जिसने आंतरिक क्षेत्र को पीछे छोड़ते हुए अपनी सीमा का प्रदर्शन किया

जिसके कारण बड़ी असमानताएं आयीं।

5- एक बंद राजनीतिक प्रणाली जो यह समझने में असमर्थ थी कि अपने लोगों में बदलाव की आवश्यकता कितनी मजबूत थी और कि विशेषकर नौकरी और बेहतर जीवन व लोक कार्य में अधिक भागीदारी चाहने वाली युवा पीढ़ी की आशाएं कैसे पूरी की जाए।

वास्तव में जनवरी , 2011 में ट्यूनिशियाई नागरिकों ने संकल्प और निडरता के साथ अहिंसक सामाजिक आवेग का नेतृत्व किया जिसके कारण वह शासन व्यवस्था समाप्त हो गयी और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। वर्ष 2011 और 2014 में दो पारदर्शी और मुक्त आम चुनाव हुए जिसने लोकतांत्रिक पद्धति से चुने गए राजनीतिज्ञों के हाथों देश का नेतृत्व सौंपा।

महात्मा गांधी, भारत के महान नेता और इस महान देश के राष्ट्रपिता ने ठीक ही कहा था जिसे मैं उद्धृत करता हूं, **"एक सच्चा लोकतंत्रवादी वह है जो पूरी तरह अहिंसक रूप से अपनी स्वतंत्रता , फिर अपने देश और अंत में संपूर्ण मानवता की रक्षा करता है।"**

अतिविशिष्ट अतिथिगण, देवियों और

सज्जनों,

आज ट्यूनिशियाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपरिवर्तनीय है क्योंकि यह ट्यूनिशियाई लोगों के प्रतिनिधियों की इच्छा को समर्पित है जिसने 2014 में एक नए आधुनिक संविधान को स्वीकार करने के साथ राजनीतिक प्रक्रिया में उपलब्धि हासिल की जिसमें धर्मनिरपेक्ष सार्वभौमिक मूल्यों व लोकतांत्रिक मानकों हैं और जो बहुवाद , मौलिक स्वतंत्रता, लैंगिक समानता, धार्मिक स्वतंत्रता एवं बहुविवाह की संपुष्ट समाप्ति की गारंटी देता है।

एक नागरिक संविधान को चुनने और इस रूख को अंगीकार करते हुए ट्यूनिशिया ने यह सिद्ध किया है कि इस्लाम और लोकतांत्रिक मूल्य साथ-साथ चल सकते हैं। इसके अतिरिक्त , वर्ष 2011 से ही शांति और वार्ता की भावना सचमुच बनी हुई है। उसके बाद से ट्यूनिशियाई लोगों और इसके राजनीतिक वर्ग उत्तरोत्तर संक्रामक बदलावों का सम्मान करने और ट्यूनिशिया को वार्ता व अहिंसा के माध्यम से एक सफल देश का उदाहरण बनाने हेतु समझौता करने के लिए बाध्य थे।

इस प्रकार से यह शांतिपूर्ण दृष्टिकोण हमें पुन: महान भारतीय नेता और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा संघर्ष की याद दिलाता है जो भारत को स्वतंत्र कराने और शांतिपूर्ण व श्रेष्ठ उद्देश्यों हेतु विश्व का दिल जीतने के लिए एक अहिंसात्मक संघर्ष को शुरू करने के प्रेरणा स्रोत थे जिन्होंने इसका उपदेश दिया।

अतिविशिष्ट अतिथिगण, देवियों एवं सज्जनों,

चतुर्वृंद जिनमें ट्यूनिशियाई व्यापार संघ यूजीटीटी के नेता, नियोक्ता संघ, बार संघ और मानवाधिकार लीग शामिल हैं , की अगुवाई वाले इस जीवंत नागरिक समाज ने उसके बाद बुद्धिमत्ता रूप में ट्यूनिशियाई लोगों के बीच संघर्षमय राजनीतिक व विचारधारात्मक स्थिति को समाप्त करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना के प्रति एकमत बनाने और उस ओर ले जाने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य किया और संभावित गृह युद्ध वाली किन्हीं परिस्थितियों से बचने की सफलतापूर्वक कोशिश की।

यह समझौता इस क्षेत्र में अभूतपूर्व है क्योंकि इसने नि:संदेह यह बतलाया कि इस्लाम और लोकतंत्र प्रभावी रूप से सहअस्तित्व में चल सकता है और कि अरब जगत जन्म से ही स्वतंत्रता और लोकतंत्र के वैश्विक मूल्यों से उन्मुक्त नहीं है।

इस नए लोकतांत्रिक राष्ट्र ट्यूनिशिया को 2015 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला जो यह साक्ष्य है कि एक मुस्लिम देश मुक्त और विकसित देश में वास्तविक स्थान हासिल कर सकता है। किंतु इस क्षेत्र में क्षेत्रीय दांव और अव्यवस्था इसके सफल अनुभव को खतरे में डाल रहा था और ट्यूनिशिया रूढ़िवादियों और लोकतंत्र विरोधी ताकतों द्वारा आतंकवाद का लक्ष्य था जिनका वर्ष 2015 में इसके पर्यटन उद्योग को क्षति पहुंचाने और इसके सांस्कृतिक मूल्यों को नीचा दिखाने का प्रयास असफल रहा। ट्यूनिशिया ने वर्ष 2015 से ही हिंसा के सभी रूपों को निरस्त किया और सभी आतंकी हमलों को असफल बनाया तथा अपनी सेनाओं की दृढ़संकल्प एवं तैयारी व साझेदार देशों के समर्थन से देश को खूनखराबे से बचाने में सफल रहा।

अतिविशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों,

आर्थिक स्तर पर यद्यपि महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और अर्थव्यवस्था में मजबूती के वास्तविक संकेत दिख रहे हैं फिर भी हमें अभी बहुत आगे जाना है क्योंकि राजनीति पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। लोगों की आकांक्षाएं बहुत अधिक हैं और विशेषकर युवाओं में जो देश की मुख्य चुनौतियों के मध्य में हैं। पिछले छह वर्षों में हमने समझ लिया कि लोकतंत्र को युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करना होता है। सरकार और निजी क्षेत्र को बेहतर सामाजिक और आर्थिक स्थिति के लिए माहौल सृजित करने के लिए एक साथ कार्य करना चाहिए यथा रोजगार सृजन , प्रौद्योगिकी में निवेश, मूल्य वर्धित उत्पादों, आय सृजन में व धन प्रबंधन में और सबसे अधिक राजकोषीय सुधारों को लागू करने के लिए ताकि विकासोन्मुखी परियोजनाओं के वित्तपोषण में सरकार को सहायता प्राप्त हो।

ट्यूनिशिया को शिक्षा, मानव संसाधन, सेवा, नई प्रौद्योगिकियों व अनुसंधान आदि में नवोन्मेषी कार्य पर पहले की अपेक्षा अब अधिक निवेश करने में विश्वास है। नए ग्रजुऐट विश्वविद्यालय छात्र रोजगार

बाजार और राजनीतिज्ञों की रूपरेखा पर अधिक जोर दे रहे हैं। एक राष्ट्रीय एकता की सरकार के रूप में यह हमारे लिए बड़ी चुनौती है कि हम इन इनपुटों को ध्यान में रखें।

आज पहले की अपेक्षा ट्यूनिशिया को सरकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सहित अपने सभी साझेदारों से सहायता की आवश्यकता है विशेषकर क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में एक सक्षम निवेश हमारे लोकतंत्र में भी एक निवेश है। अंतराष्ट्रीय संसाधनों को जुटाने में सहायता हेतु ट्युनिशिया की सरकार ने नवम्बर , 2016 में अन्य सह प्रयोजकों (फ्रांस , कतर, कनाडा और विश्व बैंक) के साथ निवेश संबंधी एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (ट्यूनिशिया 2020) का आयोजन किया था जिसमें उच्च पदाधिकारी और विदेशी कंपनियों की परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा गया जिनका वित्तपोषण 5 वर्ष के विकास कार्यक्रम (2016-2020) की रूपरेखा के तहत सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) और विदेशी कंपनियों द्वारा किया जाना है जो अनुमानत: लगभग 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।

इस कार्यक्रम से नि:संदेह अवसंरचना , प्रौद्योगिकी, उद्योग, आईसीटी और हरित अर्थव्यवस्था सहित प्रमुख क्षेत्रों में सरकारी और निजी क्षेत्र के निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे।

इस कार्यक्रम में समर्थ निवेशकों को विश्वास दिलाने के लिए ट्यूनिशिया ने बड़े सुधार किए हैं जिसका लक्ष्य मजबूत और सतत व दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं हेतु अर्थव्यवस्था को युक्तिसंगत बनाना और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है।

इसी परिप्रेक्ष्य में और इस योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय एकता सरकार हमारे देश में कारोबारी माहौल विकसित करने, इसकी प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने, निर्यात क्षमता में बढ़ोतरी करने, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को विकिसित करने व निम्न के माध्यम से सतत विकास हासिल करने के लिए महत्वकांक्षी ढ़ांचागत सुधारों को लागू कर रही है:

1-एक नया सरकारी-निजी साझेदारी (पीपीपी) कानून, जिसे नवम्बर, 2015 में बनाया गया थाऔर इसे प्रमुख परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सरकार को निधि जुटाने में सहायता करने के लिए बनाया गया था।

2- एक नया 'निवेश कानून' जिसे जनवरी, 2017 में घरेलु और विदेशी निवेशकों को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करने व निवेश में और स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु बनाया गया था।

3- भ्रष्टाचार विरोधी कानून: पारदर्शिता, निष्ठा, जबावदेही व सुशासन के सिद्धांतों बढ़ावा देने व सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए बनाया गया था।

4- राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुशासन संबंधी नियमों को लागू करने के लिए बैंकिंग कानून;

5- प्रतिस्पर्धा कानून: राष्ट्रीय निर्यातोन्मुखी उत्पादों की प्रतिस्पर्धा को उन्नत बनाने और अंतरराष्ट्रीय मानतों को पूरा करने के लिए।

6- दिवालियापन कानून: दिवालियापन प्रक्रियाओं की कानूनी रूपरेखा को सरलीकृत करने के लिए।

अतिविशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों,

ट्यूनिशिया और भारत के बीच दीर्घकालिक संबंध सदा ही गर्मजोशी भरा और सौहार्द्रपूर्ण रहा है क्योंकि इसकी जड़ें साझा विचारों, मूल्यों, परस्पर सम्मान, और औपनिवेशवाद जैसी बुराइयों के विरूद्ध सतत संघर्ष में गहरी जमी हैं। भारत पचास के दशक के शुरूआत से ही स्वतंत्रता हेतु ट्यूनिशिया के संघर्ष के बड़े समर्थकों में से एक था। वास्तव में नवम्बर , 1952 में स्वर्गीय मंत्री और कूटनीतिज्ञ ताएब स्लिम का स्वतंत्रता हेतु ट्यूनिशियाई अभियान के प्रतिनिधि के रूप में नई दिल्ली में स्वागत किया गया था।

ट्यूनिशिया की संप्रभुता के लिए भारत का समर्थन उत्साही और सतत था। 21 अगस्त , 1961 को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के समक्ष अपने वक्तव्य में भारत के स्थायी प्रतिनिधि श्री सी एस झा ने कहा और मैं उद्धृत करता हूं: **"मेरे शिष्टमंडल के लिए यह स्पष्ट है कि ट्यूनिशिया का दर्जा एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र की तरह है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के रूप में उसकी सदस्यता उसे वह दर्जा प्रदान करता है जो संयुक्त राष्ट्र के किसी अन्य सदस्य से कहीं भी कम नहीं है , एक ऐसा दर्जा जो उसकी अपनी इच्छा और निर्णय के अलावा उसकी संप्रभुता के किसी भी व्यतिक्रमण को स्वीकार नहीं करता है।"** उद्धरण समाप्त।

और वर्ष 1958 में अपने कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के बाद से हम दोनों देशों ने विश्व में शांति और सुरक्षा का साथ देने के लिए एक साथ कार्य किया तथा गुट निरपेक्ष आंदोलन , दक्षिण-दक्षिण सहयोग, रंगभेद विरोधी और औपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के तहत राष्ट्रों में एकता और सह विकास को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत की है।

हबीब बोरगुइवा, पंडित नेहरू जैसे नेताओं के नेतृत्व में अपने राजनीतिक संबंधों को लगातार और मजबूत बनाने और गहरा करने के भाग के रूप में ट्यूनिशिया और भारत ने कई मुख्य क्षेत्रों यथा वाणिज्य, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति में साठ के दशक की शुरूआत से ही दोनों देशों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौतों के तहत उत्पादक द्विपक्षीय सहयोग को भी विकसित किया है।

इस दौरान: जुलाई , 1964 में उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन , अप्रैल, 1984 में इंदिरा गांधी , 1992 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के ट्यूनिशिया के उच्च स्तरीय भारतीय दौरों और ऐतिहासिक दौरे व हुई रचनात्मक बातचीत के कारण ट्यूनिशिया और भारत एक दूसरे के और निकट आए और हमारे दोनों मित्र देशों के बीच सौहार्द्रपूर्ण संबंध और मजबूत हुआ जो आज भी विद्यमान है।

आज जो स्वस्थ्य संबंध है वह कई क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों यथा आतंकवाद के विरूद्ध संघर्ष , मानवाधिकारों का संवर्धन, वैश्विक तापन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और विकास पर हमारे देशों के विचारों

के अभिसरण पर आधारित है।

अब से कुछ ही घंटों में मैं माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी के साथ ट्यूनिशिया-भारत संयुक्त बैठक के 12वें सत्र की सह अध्यक्षता करूंगा। यह ट्यूनिशिया - भारत संबंध के समग्रता की समीक्षा और अपेक्षित उपायों की पहचान करना एवं राजनीतिक नेतृत्व व आधिकारिक स्तर पर अपने द्विपक्षीय अनुबंध को और मजबूत करने तथा व्यापार और निवेश संवर्धन , टीआईसीएस, अनुसंधान व नवोन्मेष, सुरक्षा, रक्षा, कृषि, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, भेषज, शिक्षा, पर्यटन, विज्ञान व प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सहित परस्पर हित के प्राथमिकता क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए राजनीतिक नेतृत्व और सरकारी स्तरपर और बढ़ाने का अवसर है। ट्यूनिशिया-भारत संबंध बहुत ही बढ़िया है और हम इस संबंध को और बेहतर करने के लिए कार्य कर रहे हैं।

हम अपने सहयोग व सहोद्योग को विकसित करने और विविध करने तथा दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर कर रहे हैं। हम अपने साझा मूल्यों से बनी और कार्यक्रमों व ठोस परिणाम के आधार पर एक आशाजनक ट्यूनिशियाई-भारतीय साझेदारी की आशा कर रहे हैं। यह नयी साझेदारी में समन्वित दीर्घकालिक सहयोग कार्यक्रम शामिल होगा जो लोगों के बीच सहयोग करेगा , साझा सुरक्षा चुनौतियों के आधार पर सहयोग को बढ़ाएगा और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को अक्षुण्ण रखेगा।

और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के साथ उनकी मजबूत संबद्धता और कई क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर उनके विचारों के अभिसरण यथा आतंकवाद रोधी युद्ध, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने , वैश्विक तापन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को देखते हुए ट्यूनिशिया और भारत विश्व में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की चुनौतियों का सामना करने और राष्ट्रों के बीच एकजुटता और सह-विकास को बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों के प्रति महत्वपूर्ण रूप से अपना सक्रिय और रचनात्मक योगदान दे सकते हैं।

अतिविशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों

कई अन्य चुनौतियों में से ये चुनौतियां हमारे क्षेत्र में अंतर्विष्ट विशिष्ट समस्यों के साथ संबद्ध है। विशेष रूप से लीबिया की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। लीबिया का संताप ट्यूनिशिया की समस्याएं हैं। हम अपने लीबियाई भाईयों के दुखद और कष्टदायी पीड़ाओं से गंभीर रूप से प्रभावित हैं। साथ ही हम घातक हथियारों , भारी शस्त्रों से लैस लड़ाकों और आतंकी संगठनों के लिए हर स्थान पर खुले आसमान वाले प्रशिक्षण शिविरों की उपस्थिति से उत्पन्न सुरक्षा खतरों से भी चिंतित हैं।

हमें किसी को शिक्षा नहीं देना है और किसी को लोकतांत्रिक संजीवनी नहीं देना है। हम अल्जीरिया

और मिस्र के अपने समकक्षों के साथ और नि:संदेह सभी लीबियाई पक्ष के साथ कठिन परिश्रम कर रहे हैं ताकि सभी लीबियाईयों के बीच संवाद करने के लिए एक सौहार्द्रपूर्ण वातावरण सृजित किया जा सके।

उन्हें सहअस्तित्व और स्थिरता हेतू रूपरेखा तैयार करने पर सहमति बनाने और उनके साझा भाग्य को ध्यान में रखते हुए लीबियाई संकट के उपयुक्त निराकरण तक पहुंचने के लिए समझौता करना पड़ेगा। अपने मकसदों के निरपेक्ष कोई भी विदेशी हस्तक्षेप लीबिया में शांति नहीं ला पाएगा।

ये सभी ट्यूनिशिया गणतंत्र के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति बेजी केईड ईसेब्सी द्वारा शुरू की गयी 'लीबिया पहल' के मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में और लीबिया की राष्ट्रीय एकता और प्रादेशिक अखंडता के आधार पर लीबियाई पक्षों के बीच बातचीत के नए चैनल को खोलने के लिए पिछली समझ विशेषकर स्खिरत समझौते पर आधारित है।

व्यापक क्षेत्रीय स्तर पर यह आउटलुक दुर्भाग्यवश खिन्नता भरा और चेतावनी भरा था। इराक में डीएईएसएच (दायेश) के विरूद्ध संबद्ध सेना को विजय हासिल हो रही है और वे आतंकवादियों से शहरों को वापस ले रहा है जिन्होंने इस्लाम के नाम पर अत्याचार किए। इस क्षेत्र में संघर्षमय युद्ध दुर्भाग्यवश अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी बन गया है और यहां केवल अव्यवस्था और विनाश है।

सीरिया के संबंध में ट्यूनिशिया राजनीतिक तनाव को शांत करने के लिए संभावित अंतर-सीरियाई वार्ता को शुरू करने और बातचीत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रायोजन के तहत समाधान पाने और वैश्चिक युद्ध विराम को लागू करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता है।

खाड़ी सहयोग परिषद् में हाल का संकट हमारे क्षेत्र की सुभेद्यता और ध्रुवीकरण का एक अन्य अनुस्मारक है। ट्यूनिशिया में हम जीसीसी के सभी देशों के साथ भाईचारे और उत्कृष्ट संबंध रखते हैं और हमें विश्वास है कि इस क्षेत्रीय सहयोग की एकता इस क्षेत्र और सभी अरब देशों की स्थिरता के लिए एक आस्ति है।

किसी पक्ष के साथ होने से दूर रह कर हम संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए और मतभेद को समाप्त करने व और विखंडन करने के लिए आसक्ति हेतु उत्सुक हैं। हमें विश्वास है कि अंतत: बुद्धि की विजय होगी और आपसी विश्वास बहाल होगा।

इस निराशाजनक संभावना के बीच फिलीस्तीन मामला लगातार अरब की चिंता का कारण बना हुआ है और ट्यूनिशिया दो राष्ट्र समाधान का अवसर प्रदान करने और पक्ष लेने के लिए इस शांति प्रक्रिया

और संयुक्त राष्ट्र के संगत संकल्पों का पालन करता है।

तदनुसार ही, ट्यूनिशिया अरब शांति पहल पर विचार करने का आह्वान करता है जिसमें इसकी राजधानी के रूप में अल कोद्स अल शरीफ के साथ जून , 1967 में कब्जे वाले भूभागों पर स्वतंत्र फिलीस्तीन राष्ट्र की स्थापना का समर्थन करता है। मध्य पूर्व संघर्ष का अंतिम और उपयुक्त समाधान इस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोपेक्षा होनी चाहिए।

अतविशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों,

ट्यूनिशिया और भारत दो शांतिप्रिय राष्ट्र हैं जो क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय उत्पात , जो लोकतंत्र, प्रगति और सुरक्षा के लिए खतरा हैं, के बीच समान मूल्यों को साझा करते हैं, समान वार्ता की सलाह देते है और आपसी समझ की बात करते हैं।

इस भाषण को समाप्त करने से पूर्व मैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप सभी का और इस प्रतिष्ठित श्रोताओं के समक्ष बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए महामहिम राजदूत नलिन सूरी को पुन: धन्यवाद देता हूं।

मुझे आशा है कि मेरे इस भाषण के विषय-वस्तु से जीवंत वाद-विवाद होगा और विचारों का आदान प्रदान होगा। मैं इन विचारों को आपके साथ साक्षा करने और आपके प्रश्नों का उत्तर देने में मुझे और अधिक खुशी होगी।

मेरी बात सुनने के लिए आपका धन्यवाद।

***